Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 20 /2024

Nasiman Khatoon & Anr. ....Appellant

Versus

The State of Bihar & Anr. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	12.11.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–04/2023–24 मे दिनांक–25.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मुलकिया, अंचल–बी0 कोठी, खाता–260, खेसरा–487, रकवा–10 डी0 प्रश्नगत भूमि है। अपीलार्थी के दादा जमाल अली वो बजरंगी, पिता–बालकी मियां के नाम से सी0एस0 खतियान में प्रश्नगत खाता खेसरा का रकवा–10 डी0 मकानमय सहन दर्ज है तथा भू–स्वामी महाराज धीरज कालेश्वर सिंह के नाम से खेसरा संख्या–01 दर्ज है। सी0एस0 खतियान में भी खेसरा संख्या–487 दर्ज है तथा गलती से आर0एस0 खतियान गैर मजरूआ बिहार सरकार के नाम से बन गया तथा रकवा–20 डी0 पुरानी परती कहकर दर्ज हो गया। उत्तरवादी को 10 डी0 भूमि बन्दोबस्ती के द्वारा हुआ, जबकि उक्त खेसरा का रकवा 30 डी0 है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी बिहार सरकार के नाम स दर्ज आर0एस0 खतियान को चुनौतो नहीं दी गई, क्योंकि उनको प्रश्नगत जमीन का मात्र रैयती हक के तहत दखल प्राप्त था। पट्टा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी, बी0 कोठी द्वारा बी0पी0एच0टी0 एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपीलार्थी संख्या–01 एवं 02 के पुत्र के नाम से 10 डी0–10 डी0 भूमि अभिलेख संख्या–30/2015–16 एवं 29/2015–16 द्वारा बन्दोबस्त की गई। उक्त बन्दोबस्ती पर्चा के विरूद्ध आजतक उत्तरवादी द्वारा कोई चुनौतो नहीं दी गई है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पक्ष भी नहीं सुना गया तथा न ही उन्हें साक्ष्य (बासगीत पर्चा को प्रति एवं लगान रसीद) समर्पित करने का समय दिया गया तथा एक पक्षीय सुनवाई कर गत आदेश पारित किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। **क्रमशः**	

	लगातार 12.11.2024	दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन उनको अंचल अधिकारी, बी0 कोठी द्वारा बन्दोबस्ती पर्चा से ज्ञापांक–162, दिनांक–15.02.1983 से प्राप्त हुई। तदोपरांत उत्तरवादी द्वारा उक्त जमीन का नामांतरण अपने नाम से करा कर लगान सरकार को अदा किया जा रहा है। जिसका जमाबंदी संख्या–741 है। उक्त खाता– खेसरा की भोश 10 डी0 भूमि भी अलाउद्दीन, पिता–लालजी मियां के नाम से बन्दोबस्त की गई तथा उनके द्वारा नामांतरण कराकर सरकार को लगान अदा किया जा रहा है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर बन्दोबस्ती वाद संख्या–29 / 2015–16 एवं बन्दोबस्ती वाद संख्या–30 / 2015–16 से निर्गत पर्चा के आधार पर लिया जा रहा है, जो फर्जी है। उक्त बासगीत पर्चा पर भू–मालिक के रूप में उत्तरवादी का नाम दर्ज है, जिसे स्वयं सरकार द्वारा ज्ञापांक–162, दिनांक–15.02.1983 द्वारा प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्ती की गई है। निम्न न्यायालय द्वारा तार्किक एवं विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत अपील वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, संलग्न दस्तावेजों एवं उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्ती वाद संख्या–29 / 2015–16 की सर्टिफाईड कॉपी के अवलोकन से स्पश्ट है कि बन्दोबस्ती वाद संख्या–29 / 2015–16 मौजा–ठाढ़ी, खाता–58, खेसरा–878 से संबंधित है उक्त में प्रश्रय प्राप्त रैयत का नाम तलवा मरांडी, पिता–मदन मरांडी एवं अरविंद मरांडी, पिता–ललित मरांडी दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बासगीत पर्चा संख्या–29 / 2015–16 एवं 30 / 2015–16 फर्जी है। तदालोक में अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	